संख्या-2/2018/3/1/2015-का-2

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 05 जुलाई, 2018

विषय:- डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोयक) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक एवं ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों, जिन पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोयक) सोसाईटी (परिवर्तित नाम NIELIT - National Institute Of Electronics And Information Technology) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, की समकक्षता के सम्बन्ध में समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03/06 मई, 2016 एवं 23 सितम्बर, 2016 निर्गत किये गये है।

2. समकक्षता के सम्बन्ध में हो रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत सी.सी.सी. प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को और स्पष्ट करने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कम्प्यूटर में उच्च योग्यता धारी यथा-कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी.जी.डी.सी.ए., बी.सी.ए., एम.सी.ए. तथा ग्रेजुऐशन अथवा उच्च डिग्री (बी.ए., बी.एस.सी.,बी-टेक, एम.एस.सी., एम.बी.ए.) में कम्प्यूटर एक विषय के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्नगत पदों के चयन हेतु अर्ह माना जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2018/3/1/2015(1)-का-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्याक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
9. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
10. रजिस्ट्रार जनरल, मा.उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
12. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
13. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द्र मोहन चित्रांशी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।